राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग

जयपुर,दिनांकः 10/01/2020

क्रमांकःप.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/2020/38731-38926
आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिकाऐं।
समस्त राजस्थान।

विषयः अलाभकारी चैरिटेबल संस्थाओं को लोक उपयोगी सेवाओ के लिए कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरो, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.17(9)नविवि/नियम /19 दिनांक 22.7.19

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि नगरीय विकास विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 22.7.19 में प्रावधान हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को राज्य के नगरीय क्षेत्रो में लोक उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधाऐं, शैक्षणिक सुविधाऐ, वृद्वाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निःशक्तजन केन्द्र, नशा मुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बालगृह आदि के विकास को· प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में इन संस्थाओ को· कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरो, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गयी हैं।

उक्त अधिसूचना में अन्य सामान्य चैरिटेबल ट्रस्टो एवं सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं को शुल्क में शत–प्रतिशत छूट का प्रावधान नही हैं। विभाग में अनेक नगरपालिकाओं से ऐसे अन्य सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं को भी उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क में शत–प्रतिशत छूट देने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

अतः स्पष्ट किया जाता हैं कि प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 22.7.19 के प्रावधान अनुसार केवल सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को, लोक उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधाऐं, शैक्षणिक सुविधाऐ, वृद्वाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निःशक्तजन केन्द्र, नशा मुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बालगृह आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में कार्य करने के लिए ही कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरो, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत–प्रतिशत छूट देय हैं। किसी अन्य सामान्य संस्थाओं को शुल्क में छूट नही दी गई हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 22.7.19 के तहत संस्थाओं के आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत संस्था की पात्रता का परीक्षण किया जाकर तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

10/1/20
(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/2020/38927-39123 दिनांकः 10/01/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.निजि सचिव, शासन सचिव, स्वा.शा.वि. जयपुर।
2.महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगरनिगम/नगरपरिषद/पालिकाऐ, समस्त राजस्थान।
3.सुरक्षित पत्रावली
4. प्रोग्रामर, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by CamScanner